रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

B 26.7.84

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 1984/ज्येष्ठ 17, 1906
No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 1984/JYAISTHA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1984

सं० : 101/4/84.—अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1971 (1971 का 43) की धारा 37 की उप-धारा (1) तथा धारा 37 को उप-धारा (2) के खंड (अ) और (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंध विमान परिवहन सेवाओं का भूमि पर संचलन) विनियम 1982 का अधिक्रमण करते हुए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) इन विनियमों को भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंध, विमान परिवहन सेवाओं का भूमि पर संचलन हेतु प्रवेश) विनियम, 1984 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये विनियम बंबई (सांताक्रूज) कलकत्ता (दमदम) दिल्ली (पालम) तथा मद्रास (मीनंबाकम) स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचित किए गए किसी अन्य हवाई अड्डे पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं : इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "एप्रन" का अभिप्राय यात्रियों तथा/अथवा सामान को चढ़ाने तथा/अथवा उतारने, ईंधन लेने, पार्किंग अथवा अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए विमान को खड़ा करने हेतु विमानक्षेत्र के विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" का अभिप्राय अध्यक्ष तथा इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है;

(ग) "युक्ति चालन क्षेत्र" का अभिप्राय एप्रन को छोड़कर, हवाई अड्डे के उस भाग से है जिसे विमानों के उड़ान भरने और उतरने तथा उड़ान भरने और उतरने से संबंद्ध विमानों के संचलन के लिए प्रयोग किया जाता है;

(घ) "संचलन क्षेत्र" का अभिप्राय युक्तिचालन क्षेत्र एवं एप्रनों उसहित हवाईअड्डे पर विमान के सतही चालन के लिए निर्धारित क्षेत्र से है;

(ङ) "भू-संचलन" का अभिप्राय रैम्प संचलन तथा यातायात संचलन से है।

4. विनियम-5 में की गई व्यवस्था को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हवाई अड्डों पर किसी विमान के भू संचलन के संबंध में किसी वाहन अथवा अन्य उपकरण को परिचालित करने के लिए संचलन क्षेत्र में न तो प्रवेश करेगा और न ही मौजूद रहेगा।

5. किसी भी हवाई अड्डे पर यथास्थिति निजी अथवा किसी विमान कंपनी के विमान के भू संचलन के संबंध में किसी वाहन अथवा अन्य उपकरण को परिचालित करने के लिए संचलन क्षेत्र में प्रवेश तथा मौजूदगी निम्नलिखित तक ही सीमित रहेगी।

(क) भारत अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी;

(ख) ऐसे विमान का परिचालक अथवा मालिक अथवा उसका सदाशयी पूर्णकालिक कर्मचारी बशर्ते कि वह उन सभी शर्तों को पूरा करता हो जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बचाव सुरक्षा और हवाईअड्डे के उपयुक्त तथा कारगर प्रबंध सहित सभी पहलुओं का ध्यान में रखते हुए समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ग) कोई अन्य परिचालक अथवा अभिकरण जो ऐसा परिचालक अथवा अभिकरण होने के नाते 18 जनवरी, 1972 में तुरन्त पहले किसी विमान के ऐसे संचलन कार्य में लगा रहा हो तथा जिसे स कार्य में लगे रहने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई हो बशर्ते कि वह उन सभी शर्तों को पूरा करता हो जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान बचाव सुरक्षा और हवाईअड्डे के उपयुक्त तथा कारगर प्रबंध जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई हों;

स्पष्टीकरण : 18 जनवरी 1972 के बाद ऐसे कार्य के अंतर्गत होने वाली गतिविधियां यथास्थिति केवल उस कार्य और विमान कम्पनी तक ही सीमित रहेंगी जो परिचालक अथवा अभिकरण द्वारा पहले किया गया हो।

(घ) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी बशर्ते कि वे उन सभी शर्तों को पूरा करते हों जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान बचाव सुरक्षा और हवाईअड्डे के उपयुक्त तथा कारगर प्रबंध सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई हों।

परंतु यह कि इस में ऊपर कही गई किसी बात से यथास्थिति किसी परिचालक मालिक अभिकरण अथवा विमान कंपनी को किसी हवाईअड्डे पर किसी विमान के भू संचलन का कार्य करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट पूर्वानुमति न ली गई हो.

परंतु यह और कि यदि किसी हवाई अड्डे पर किसी विमान के भू संचलन संबंधी सभी अथवा कोई कार्य भारत अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाए तो उस भू संचलन के संबंध में कोई भी परिचालक मालिक अभिकरण विमान कंपनी अथवा उसके कर्मचारी संचलन क्षेत्र में प्रविष्ट अथवा मौजूद नहीं होंगे।

6. इनमें से किसी भी विनियम का उल्लंघन जुर्माने के रूप में दंडनीय होगा जो 500- रुपए तक हो सकता है तथा निरंतर उल्लंघन की दशा में पहले ऐसे उल्लंघन के संबंध में दोषसिद्धि के बाद ऐसे उल्लंघन जारी रहने की अवधि में 20- रुपए प्रतिदिन तक का अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है।

केप्टन ए०एम० कपूर, अध्यक्ष
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण

INTERNATIONAL AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1984

Sectt. 101|4|84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 and clause (j) and (n) of sub-section (2) of section 37 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), and in supersession of International Airports Authority of India (General Management, Ground Handling of Air Transport Services) Regulations, 1982 the International Airports Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the International Airports Authority of India (General Management, Entry for Ground Handling of Air Transport Services) Regulations, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettee.

2. Application.—These regulations shall apply to the International Airports at Bombay (Santa Cruz), Calcutta (Dum Dum), Delhi (Palam) and Madras (Meenambakam) and any other aerodrome notified by the Central Government under sub-section (3) of section 1 of the said Act.

3. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "apron" means a defined area of the airport intended to accommodate aircraft for purposes of loading and|or unloading of passengers and|or cargo, refueling, parking or maintenance ;

(b) "competent authority" means the Chairman and includes any other officer authorised by the Chairman in this behalf;

(c) "manoeuvring area" means the part of the airport to be used for take-off and landing, of aircraft and for movement of aircraft associated with the take-off and landing, excluding apron;

(d) "movement area" means part of an airport intended for the surface movement of aircraft including the manoeuvring area and aprons;

(e) "ground handling" means ramp handling and traffic handling.

4. No person shall enter into or remain in the movement area for operating any vehicle or other equipment for ground handling of any aircraft at the airports except as provided in regulation 5.

5. Entry into and remaining in the movement area for operating any vehicle or other equipment for ground handling of any aircraft whether private or belonging to any airline, as the case may be, at any of the airports shall be restricted to,

(a) the employees of the International Airports Authority of India;

(b) the operator or the owner of such aircraft or his bona-fide wholetime employee subject to such condition as may be specified from time to time by the competent authority having regard to all aspects including safety, security and proper and efficient management of the airport;

(c) any other operator or agency being an operator or agency who or which was engaged in the performance of such handling of any such aircraft immediately before the 18th day of Junuary, 1972 and who or which has been specially permitted by the competent authority to carry on with such performance subject to such terms and conditions as may be specified from time to time by the competent authority having regard to all aspects including payment of licence fee, safety, security and proper and efficient management of the Airport;

Explanations—

The activities under the continuance of such performance after 18th Junuary, 1972 shall remain limited to the exact job and to the airline, which was performed earlier by the operator or agency, as the case may be,

(d) employees of Air India and Indian Airlines subject to such conditions as may be specified from time to time by the competent authority having regard to all aspects including payment of licence fee, safety, security and proper and efficient management of the airport.

Provided that nothing contained hereinabove shall confer any right on any operator, owner, agency or airline, as the case may be, to carry on the business of ground handling of any aircraft at any airport unless specific prior permission of the competent authority has been obtained in writing:

Provided futther that in case all or any ground handling of any aircraft at any airport it is taken over by the International Airports Authority of India, no operator, owner agency, airline or its employees shall enter into or remain in the movement area in connection with such ground handling.

6. Contravention of any regulation shall be punishable with a fine which may extend to five hundred rupees and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to twenty rupees every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

Capt. A. M. KAPUR Chairman I.A.A.I.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984